चैक संग्रह नीति

1) परिचय

भुगतान तथा निपटान प्रणाली एंव परिचालन प्रक्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन तथा बहुत से बैंकों द्वारा आरम्भ की गयी प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2004 से प्रभावित इसके पहले वाणिज्यक बैंकों से वापिस लिए है (i) स्थानीय/आउटस्टेशन चैक पर तत्काल ऋण (ii) स्तहनीय/आउटस्टेशन चैक के संग्रह की समय सीमा और (iii) विलंबित संग्रह के ब्याज भुगतान पर/इन दिशा निर्देशों के अनिवार्य वापसी से प्रतिस्पर्धा बाज़ार में चैक तथा अन्य दस्तावेज़ों के संग्रह की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद लगाई गयी थी। बैंक यह संग्रह नीति वर्तमान में हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तथा प्रदर्शन के उच्च मानकों को स्थापित करने के प्रयासों का एक प्रतिबिंब है। यह नीति ग्राहकों के प्रति व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को तुरंत सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनी तकनीक के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है। यह दस्तावेज़ नीति निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करती है:

- भारत के भीतर तथा विदेशों से स्थानीय रूप से देय चैक और अन्य दस्तावेज़ों का संकलन करना ।
- दस्तावेज़ों के संकलन के लिए हमारे समय मानदंडों की प्रतिबद्धता ।
- ब्याज भुगतान पर नीति के मामलों में जहां बैंक बाह्य दस्तावेज़ों की आय की प्राप्ति के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है।
- पारगमन में खो चुके संग्रह दस्तावेज़ों से निपटान की हमारी नीति।

2. संग्रह के लिए व्यवस्था:

2.1 स्थानीय चैक

सभी चैक तथा अन्य परक्राम्य स्थानीय लिखित देय दस्तावेज़ स्मशोधन केंद्र में प्रचलित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। शाखा काउंटरों पर जमा चैक तथा शाखा परिसर के भीतर संकलन में जमा चैक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, यदि शाखा के व्यापार घंटों के प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर प्रस्तुत किया गया है। कट-आफ समय के बाद जमा किए गए चैक तथा शाखा परिसर के अंदर के संग्रह बॉक्स बाहर के ATM सहित को अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, विशिष्ट कर आम समय पर प्रत्येक स्थानों पर समाशोधन समय के आधार पर अलग-अलग स्थानों में प्रदर्शन किया जाएगा। एक नीति के रूप में, बैंक को ग्राहक के खाते में ऋण उसी दिन देय होगा जिस दिन समाशोधन और निपटान होता है। इस प्रकार के देय ऋण की निकासी क्लियरिंग हाउस के चैक वापसी क्रयक्रम अनुमति के अनुसार किया जाएगा। जहाँ भी लागू हो, उच्च-मूल्य संशोधन (उसी दिन देय) की सुविधा को ग्राहकों के लिए बड़ाया जाएगा।

ऐसे बैंक शाखा केंद्र जहाँ कोई क्ल्यरिंग हाउस उपस्थित नहीं है, अदाकर्ता बैंक काउंटर पर स्थानीय चैक प्रस्तुत किया जाएगा तथा बैंक को जल्द से जल्द इसकी क्रडिट प्राप्ति का प्रयत्न करना होगा।

2.2 आउटस्टेशन चैक

बाहरी केंद्रों पर अन्य बेंकों पर आहरित चैक समान्यतः उन केंद्रों पर स्थित बैंक शाखों के माध्यम से एकत्र किया जायेगा। जहाँ बैंक की अपनी शाखा नहीं है, वहाँ दस्तावेज़ को सीधे ही अदाकर्ता बैंक में भेजा जायेगा या संपर्ककर्ता बैंक के माध्यम से एकत्र किया जायेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं का बैंक भी उपयोग करेगा, जहाँ इस प्रकार की सेवाएँ मौजुद हैं।

बाहरी केंद्रों पर बैंक अपनी शाखाओं पर आहरित चैक प्रचलित अंतः-शाखा व्यवस्था के माध्यम से एकत्र करेगा। शाखाएँ जो केंद्रीकृत प्रसंस्करण व्यवस्था के माध्यम से जुड़ी हुई हैं तथा अपने ग्राहकों की किसी भी स्थान पर की जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, अपने ग्राहकों के लिए बाह्य दस्तावेज़ों के संबंध में उसी दिन क्रेडिट कट-ऑफ करने से पहले धन जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा बैंक की अपनी किसी भी शाखा पर देय होगा।

2.3 विदेशी मुद्रा में देय चैक

विदेशी केंद्रो पर देय चैक जहाँ बैंक की शाखा कार्यरत है (या सहायक, आदि के माध्यम से बैंक का परिचालन हो रहा है) कार्यालय के माध्यम से एकत्र किया जायेगा। संपर्ककर्ता बैंक की सेवाओं का , जहाँ संपर्ककर्ता बैंक देश/केंद्रों में उपास्थित है का प्रयोग किया जायेगा। विदेशी बैंकों पर आहरित चैक जहाँ बैंक या उसके सपर्ककर्ता केंद्रों की उपस्थिती नहीं है संपर्ककर्ता बैंक को संबंधित नोस्ट्रो खाते का परिचालन कर रहे बैंक में क्रेडिट देय के लिए सीधे निदेश देगा।

नीचे प्रमुख मुद्राओं की कुछ उपशम अवधि का उल्लेख किया गया है:-

उपशम अवधि दिवस		
मुद्रा		उपशम अवधि-कार्य काल
यू.एस.डी	न्यू यॉर्क	6
यू.एस.डी	गैर न्यू यॉर्क समाशोधन	14
जी. बी. पी.		10
यूरो		10
ए.ई.डी.		8
एसजीडी		21
सीएडी		21
विनिमय दर: उपशम अवधि के पश्चात ऋण की तारीख पर लागू दर		

2.4 स्थानीय/आउटस्टेशन चैक तथा दस्तावेज़ों का तत्काल क्रेडिट

बैंक के साथ पूर्व-निर्धारित व्यवस्था के साथ संगरहित दस्तावेज़ों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जायेगा। तत्काल ऋण की सुविधा उन केंद्रो के लिए भी प्रदान की जायेगी जहाँ पर क्लियरिंग हाउस स्थित नहीं है तथा चैक /15000 रुपये तक के दस्तावेज़ों के संतोषजनक रूप से आयोजित खातों के संबद्ध में उपलब्ध कराया जायेगा।

इस नीति के तहत, प्रीपैड दस्तावेज़ जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट कि जांच के साथ सममूल्य चैक कि भाँति व्यवहार किया जायेगा । बैंक अपनी शाखाओं पर देय डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जैसे प्रीपैड दस्तावेज़ों कि तत्काल क्रेडिट कि सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि बैंक को धन पहले से ही प्राप्त हो चुका है।

तत्काल ऋण प्रदान किए जाने वाले चैक कि अस्वीकृति कि स्थिति में, बैंक को फंड के बिना होने की स्थिति में ग्राहकों से बयाना वसूला जायेगा जोकि प्रति व्यक्ति मंजूर की गयी ओवेरड्राफ्ट की तय सीमा पर लागू होगा।

इस नीति के उद्देश्य से, संतोषजनक रुप में आयोजित खाता वह होगा जो:-

a. कम से कम छह माह से पहले KYC के मानदंडों के अनुपालन के साथ खोला गया हो।
b. जिसका व्यहार संतोषजनक रहा है तथा बैंक ने किसी भी प्रकार का अनियमित व्यवहार नहीं देखा है।
c. जहाँ कोई चैक/दस्तावेज़ जिसके लिये तत्काल क्रेडिट उपलब्ध था, अदेय न लौटाया गया हो।
d. जहाँ बैंक को किसी भी विगत बकाया राशि सहित तत्काल ऋण देने के बाद लौटने की वसूली में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हुआ हो।

बैंक, कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय तथा कमीशन की प्राप्ति के लिये चैकों पर समय-समय पर लागू दर की खरीदी से करेगा। इस प्रकार वसूला गए कमीशन की दर को सामान्य अनुसूची के तहत प्रकाश्त किया जाता है।

2.5 स्थानीय/बाहरी चैकों की खरीद

बैंक, अपने विवेक से, स्थानीय/बाहरी चैकों की खरीद के संग्रह के लिये पूर्व व्यवस्था के अनुसार ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा चैककर्ता की प्रतिष्टा भी चैक क्रय एक कारक माना जायेगा।

2.6 समशधन की शीघ्रता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चैकों के संकलन हेतु लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से "स्पीड क्लियरिंग" नमक एक प्रणाली की शुरुआत की है। स्पीड क्लियरिंग स्थानीय समाशोधन के माध्यम से बाहरी चैकों के संकलन को संदर्भित करता है। संग्रहण के आधार पर संग्रहीत आउटस्टेशन चैक एक से दो सप्ताह का समय लेता है जो अदाकर्ता केंद्र पर निर्भर करता है। स्पीड क्लियरिंग के तहट,

यह को कम से कम दो से तीन दिनो तक कर देगा। वर्तमान में RBI द्वारा प्रदान की जाने वाली स्पीड क्लियरिंग की सुविधा 66 केंद्रों में उपलब्ध है। काहिक जिंका कार्य सम्पादन कोड 10, 11 और 13 है, जोकि CBS सक्षम बैंक श्खओन पर देय है, स्पीड क्लियरिंग में प्रस्तुत करने योग्य है। भुगतान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट, सरकारी दस्तावेज़ तथा बैंक या बैंक की शाखाओं पर देय चैक, जो स्पीड क्लीयरिंग प्रणाली का भाग नहीं है, वह स्पीड क्लीयरिंग के योग्य नहीं है। नवीन क्लीयरिंग प्रणाली की जमा शाखा में ही आउटस्टेशन चैको की क्लीयरिंग सुविधा देता है, तथा यहाँ भौतिक दस्तावेज़ का कोई गंतव्य केंद्र नहीं है यानि वह केंद्र जहां दस्तावेज़ के आदेशक का खाता है।

स्पीड क्लीयरिंग केन्द्रों की सूची तथा प्रतिभागी बैंकों की शाखाओं का का ब्यौरा RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3) स्थानीय/बाहरी चैकों/दस्तावेज़ों के संग्रह की समय सीमा:

समाशोधन क्रेडिट के लिए प्रस्तुत किए गए स्थानीय चैक फंड के समाशोधन की निपटान की तारीख में प्रदान किया जाएगा तथा खाताधारक को प्रचलित समाशोधन में वापसी के मानदंडों के तहत पैसा निकालने की अनुमति दी जाएगी। उच्च-मूल्य (कम से कम 1 लाख रूपय मूल्य के या स्थानीय क्लीयरिंग हाउस द्वारा निर्धारित) के प्रस्तुत चैक/दस्तावेज़ को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा (केवल उच्च मूल्य/ उसी दिन समाशोधन की सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्रों में लागू)।

देश के भीतर संग्रह के लिए भेजे जाने वाले चैक तथा अन्य दस्तावेज़ों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को लागू किया जाएगा:

a) किसी भी बैंक की शाखा पर जमा किए गए तथा राज्य की राजधानी में देय आउटस्टेशन चैक को अधिकतम 7 दिनों की अवधि के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। जमा किए जाने वाले स्थानों तथा देय स्थानों पर दिनों की गढ़ना बीच में आने वाली छुट्टियों से होगी।
b) मुख्य शहरों पर आहरित चैक (बैंक द्वारा समय-समय पर की गयी पहचान के अनुसार) जमा किए जाने की तिथि से अधिकतं 10 दिनों के अंदर क्रेडिट किए जायेंगे। जमा किए जाने वाले स्थानों तथा देय स्थानों पर दिनों की गढ़ना बीच में आने वाली छुट्टियों से होगी।
c) उपर निर्दिष्ट केन्द्रों के अलावा किसी भी अन्य केन्द्रों पर आहरित चैक को जमा की गयी तिथि से अधिकतम 14 दिनों के भीतर क्रेडिट किया जाएगा। जमा किए जाने वाले स्थानों तथा देय स्थानों पर दिनों की गढ़ना बीच में आने वाली छुट्टियों से होगी।

चैकों के तुरंत भुगतान के लिए बैंक सभी आवश्यक कदम उठायेगा और इसीलिए वसूली में होने वाले विलम्ब को व्यापक नहीं किया जा सकता तथा विभिन्न मामलों की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां बैंक या उसके एजंटों ने आउटस्टेशन चैकों के समाशोधन/अदाकर्ता बैंक में वितरित किया तथा उसके पश्चात दस्तावेज़ों के संशोधन में RBI की तय समयसीमा के आधार पर समाशोधन बैंक का दायित्व होगा। समाशोधन/अदाकर्ता बैंक द्वारा की गयी अनुचित देरी की स्थिति में बैंक इस प्रकार के ब्याज के भुगतान की प्राप्ति में देरी के मामलों में पात्रता का निर्धारण करेगी।

विदेशी देशों पर आहरित चैकों का संग्रह "सर्वश्रेष्ठ प्रयासों" के आधार पर किया जाएगा। अपने समपर्ककर्ता बैंक के साथ विशिष्ठ संग्रह व्यवस्था के मामले में संबन्धित देशों में लागू उपशमन अवधि को ध्यान में रखते हुए बैंक समपर्ककर्ता बैंक के साथ उस बैंक के नोस्ट्रो खाते में पार्टी के लिए क्रेडिट देय होगा।

4) स्थानीय/बाहरी चैकों के संग्रह के लिए ब्याज भुगतान: बैंक की मुआवज़ा नीति के अनुसार, बैंक ब्याज संग्रह के दस्तावेज़ों की राशि मे मामलों में अपने ग्राहक को उपरोक्त समयावधि से परे ऋण प्रदान में हुई देरी का भुगतान करेगा(3 पॉइंट) इस प्रकार के सभी खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना ब्याज का भुगतान किए जाएगा।

बिन्दु संख्या 3 के तहत, उप्पर निर्दिष्ट अवधि से परे संग्रह में होने वाले विलंब के लिए निम्नलिखित दरों पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा:-

a) स्थानीय बाहरी चैकों के संग्रह के लिए बचत बैंक दर में सामी सीमा से परे देरी की अवधि को(3 पॉइंट) में उल्लेखित किया गया है।
b) जहाँ पर विलम्ब 45 दिनों से अधिक है वहाँ पर संबन्धित अवधित के लिए सावधि जमा ले लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
c) असाधारण देरी की स्थिति में, यानि 90 दिनों से अधिक की देरी में ब्याज पर चल रहे सावधि जमा दर से 2% अधिक का भुगतान किया जायेगा ।

ग्राहक के खाते में ओवरड्राफ्ट/ ऋण खाते में संग्रहित चैक को क्रेडिट करने की स्थिति में, ऋण खाते पर लागू दस से ब्याज का भुगतान किया जायेगा। असामान्य विलम्ब के लिए ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक का भुगतान किया जायेगा।

5) समाशोधन प्रक्रिया में या अदाकर्ता बैंक की शाखा में चैक/पारगमन में लुप्त दस्तावेज़/अस्वीकृत चैक:

चैक या संग्रहित दस्तावेज़ के पारगमन में लुप्त हो जाने या समाशोधन प्रक्रिया में या अदाकर्ता बैंक की शाखा में लुप्त हो जाने की स्थिति में, बैंक को इस प्रकार के नुकसान के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए तथा एसी स्थिति में खाताधारक को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अदाकर्ता बैंक को चैक का भुगतान करने से रोकने के लिए सूचित कर सके तथा अपने चैक का ध्यान रखे,यदि कोई है, उनके द्वारा जारी किए गए चैक के दस्तावेज़ के खोने से गैर-क्रेडिट अस्वीकृत चैक की स्थिति में।

बैंक, चैक के अदाकर्ता से चैक की प्रति प्रदान करने के लिए ग्राहक को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। बैंक के द्वारा चैक लुप्त हो जाने की स्थिति में भुगतान को रोकने में लगने वाले शुल्क का बैंक भुगतान करेगा। ग्राहक के द्वारा जमा किए गए चैक संग्रहण की स्थिति में, यदि वह बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, ऐसा दस्तावेज़ को बैंक पुस्तिका में दर्ज पते पर लौटा दिया जायेगा। इस प्रकार का लौटाया हुए चैक के प्रभार सामनी सूची में उल्लेखित दर से वसूला जायेगा।

बैंक की मुआवजा नीति के समान, बैंक खाताधारक को पारगमन में लुप्त हुए दस्तावेज़ की क्षतिपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से करेगा:

a. संग्रह के निर्धरित समय स्से पहले लुप्त हुए दस्तावेज़ के बारे में सूचित किया गया हो (जैसा बिन्दु 3 में उल्लेखित किया गया है) निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित वसूली अवधि से अधिक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
b. डुप्लीकेट चैक/दस्तावेज़ की रसीद दिखाने पर बैंक ग्राहक को उनके उचित शुल्क की भरपाई के लिय उत्तरदाई होगा, एसी स्थिति में जब बैंक/संस्थान से दस्तावेज़ की प्राप्ति होती है जो दस्तावेज़ की प्रति जारी करने का शुल्क लेगा।

6) अप्रत्याशित घटना

बैंक क्रेडिट में होने वाली देरी से ग्राहकों को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदाई नहीं होगा अगर कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ (जैसे सम्मिलित परंतु सीमित नहीं-नागरिक हँगामा, तोड़-फोड़ या अन्य श्रमिक विघ्न, दुर्घटना, आग, प्राकृत आपदा या अन्य “ईश्वरीय घटनाएँ ”, युद्ध, बैंक या उसके संपर्ककर्ता बैंक की

सुविधाओं को नुकसान, संचार से समान्य माध्यमों में अभाव) इत्यादि बैंक के नियंत्रण से परे जिससे बैंक को अपने निर्दिष्ट सेवा वितरण मानदंडों के भीतर अपने दायित्वों का निर्वाह करने से रोकता हो।

7) अदत्त लौटे चैकों पर ब्याज का भुगतान जहाँ त्वरित ऋण दिया गया था:

यदि संग्रह के लिए भेजे गए चैक अदत्त लौटते हैं जिनके लिए बैंक द्वारा त्वरित ऋण भुगतान किया गया था, तो चैक के मूल्य को तुरंत खाते से डेबिट कर दिया जायेगा। ग्रहा से तत्काल क्रेडिट तिथि से व्यवस्था तिथि तक कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

यदि बैंक के बचत खाते से चैक का क्रेडिट लाभ नहीं निकाला गया है तो इस अदत्त चैक इस प्रकार के लाभ पर लगे ब्याज का पात्र नहीं होगा। यदि लाभ ओवरड्राफ्ट/ ऋण खाते से क्रेडिट किया गया है तो ब्याज ओवेरड्राफ्ट/ऋण खाते की तारीख तक के लिए वसूला जायेगा यदि चैक/दस्तावेज़ बैंक में फंड की कमी के दौरान अदत्त लौटाया गया हो।